



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 24, 2017 (MAGHA 4, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
तथा
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एफ.डी.पी.-2031/जी.जी.एन./2017/304- हरियाणा नगर निगम, अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 16), की धारा 346 की उप धारा (7) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या-सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एफ.डी.पी.-2031/जी.जी.एन./2016/2402 दिनांक 15 जुलाई, 2016 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या-सी.सी.पी.(एन.सी.आर.) एफ.डी.पी.-2031/जी.जी.एन./2012/3541, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित गुडगांव-मानेसर अर्बन काम्पलेक्स के अन्तिम विकास योजना, 2031 ए.डी. में अनुबन्ध क तथा ख में दिये गए निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित अंतिम विकास योजना 2031 ए.डी. में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या- सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी.-2031/जी.जी.एन./2012/3541, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में,-

I. अनुबन्ध-क में, भूमि उपयोगों का विवरण शीर्ष में,-

- (i) '1 रिहायशी' उप-शीर्ष में,- "विकास योजना में प्रस्तावित रिहायशी क्षेत्रों को प्रति हेक्टेयर 250 व्यक्तियों के वास्तविक रिहायशी औसत घनत्व के आधार पर सैक्टर के भीतर सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रावधान करते हुए पड़ोस पद्धति पर विकसित किया जाएगा ।" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "विकास योजना में प्रस्तावित रिहायशी क्षेत्रों को सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रावधान करते हुए पड़ोस, पद्धति पर विकसित किया जाएगा । प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता में विकसित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (न. ए. अ. प.), अफोर्डेबल ग्रुप पॉलिसी, ट्रांजिट ओरियंटड विकास पॉलिसी, 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी ।" शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) '2 वाणिज्यक' उप-शीर्ष में, पांचवी पंक्ति में, "गया है ।" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"ग्रुप हाऊसिंग, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई. टी./आई. टी. ई. एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।";

- (iii) '3 औद्योगिक' उप-शीर्ष में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—
- (iv) "ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।";
- (v) '4 परिवहन तथा संचार' उप-शीर्ष में, " जिसे गोल्फ कोर्स सड़क से होते हुए दक्षिणी परिधीय मार्ग तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।" शब्दों के स्थान पर, यह मैट्रोलेनिक तथा इसमें सेक्टर 56 की दक्षिणी परिधीय का भाग रूप बनने वाली दक्षिणी परिधीय मार्ग भी शामिल है तक गोल्फ कोर्स सड़क के साथ-साथ बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (vi) '6 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक' उप-शीर्ष में, अन्त में निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—
"ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं का ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।";

II अनुबन्ध ख में,

(1) 'II परिभाषायें' उप-शीर्ष में,

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित; '

(ख) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग-क) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2016; '

(ग) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ज) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के प्लॉट क्षेत्र द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र के विभाजन द्वारा प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात् :-

$$\text{फर्श क्षेत्र अनुपात} = \frac{\text{कुल आच्छादित क्षेत्र}}{\text{प्लॉट क्षेत्र}}$$

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, छत, अनुमानों कैंटिलीवर, अनुमति लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाने यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, स्टीलट क्षेत्र (खुला) पार्किंग तथा पैदल यात्री प्लाजा, खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), अनुमत आकार का खुला आंगन के उपयोग के लिये, फर्श क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा; ;

(घ) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ज) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन; ;

(ङ) खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(थ) "अटारी" से अभिप्राय होगा, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवशिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है; ;

(च) खण्ड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(न) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती मंजिल और ऊपरी मंजिल स्तर 2.3 मीटर से कम नहीं होगा; ;

(ड) खण्ड (य क) में, व्याख्या (3) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं प्लॉटएबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी; ;

(2) 'VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर :

पूर्ण रूप से सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती है, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।";

- (3) 'VIII मुख्य परिवहन कोरोडोर के लिए भूमि आरक्षण' शीर्ष में, उप पैरा (3) के बाद निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(4) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क, भीतरी सैक्टर सड़क (24/18 मीटर) या हरित पट्टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध अनुज्ञात किया जा सकता है।";
- (4) 'XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लोटों का न्यूनतम आकार' शीर्ष में, पैरा (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-
- "(2) रिहायशी और वाणिज्यिक विकास के लिये वर्ग आवास कॉलोनी, प्लाटिड रिहायशी कालोनी और वाणिज्यिक कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा-विनिर्दिष्ट होगा।";
- (5) 'XV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई और आकार' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "XV विभिन्न प्रकार के भवनों के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई और आकार विशिष्ट प्लॉट/स्थान पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी।";
- (6) 'XVI भवनों की अगली ओर पिछली ओर तथा भुजा की ओर भवन पंक्ति' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "XVI भवनों की अगली ओर पिछली ओर तथा भुजा की ओर भवन पंक्ति
ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी।";
- (7) 'XVII वास्तुकला संबंधी नियंत्रण' उप-शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "XVII वास्तुकला संबंधी नियंत्रण
जहाँ कहीं वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवश्यक समझा जाता है तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2016 के खण्ड 29 के अन्तर्गत बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।";
- (8) 'XIX सघनता' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "XIX सघनता-
प्रत्येक आवासीय सेक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सेक्टर सघनता में विकसित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (न.ए.अ.प.) अफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सेक्टर में भी लागू होगी।";
- (III) परिशिष्ट ख में-
- (i) 'I रिहायशी जोन' शीर्ष में, उप खण्ड (viii) के बाद, निम्नलिखित उप खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
- "(viii-क) आई. टी./आई. टी. ई. एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।";
- (ii) 'II वाणिज्यिक जोन' शीर्ष में, उप खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(viii) यथा विनिर्दिष्ट मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं में आवास";
- (iii) 'III औद्योगिक जोन' शीर्ष में, उप खण्ड (vi) के बाद, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाएं ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत की जाएंगी";

- (iv) 'VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल' शीर्ष में, उप खण्ड (vii) के बाद, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(vii) क) ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।"

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

आनंद मोहन शर्मा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
AND
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 24th January, 2017

No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2017/ 304.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 346 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and Sub-section (7) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department and Town & Country Planning Department notification No.CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2016/2402, dated the 15th July, 2016 the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Final Development Plan 2031 AD, Gurgaon-Manesar Urban Complex, notified *vide* Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated the 15th November, 2012 and published in the Haryana Government Gazette(Extra ordinary), dated the 15th November, 2012 for Gurgaon-Manesar Urban Complex alongwith restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled area specified in Annexure B, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated the 15th November, 2012,-

I. In Annexure- A, under the heading Description of Land Uses,-

(i) under Sub Head (1)-" Residential"

(a) after the words "community facilities and services", the sign "." shall be inserted; and

(b) for the words "within the sectors on an average net residential density of 250 persons per hectare", the following words, sign and figure shall be substituted, namely:-

"Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Transit Oriented Development Policy (TOD). 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.";

(ii) under Sub-Head (2) – "Commercial", after the words, " to cater to the needs of surrounding areas" the following words shall be inserted; namely:-

"Group Housing, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone";

- (iii) under Sub-Head (3) – “Industrial” after the words “Modern Township Manesar”, the following words shall be inserted; namely:-
“Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone”;
- (iv) under Sub-Head (4) – “Transport and Communication”;- in the existing para three, for the words “upto SPR through Golf Course Road”, the following words and sign shall be substituted, namely:-
“along Golf Course Road upto SPR and including the portion of SPR forming Southern periphery of sector 56”;
- (v) under Sub-Head (6) – “Public and Semi- Public”, the following words shall be added at the end, namely:-
“Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone.”

II. In Annexure- B,

- (1) under the heading “Zoning Regulations”, under Sub Head II- “Definitions”;-
- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
(a) “approved” means approved by the competent authority;
- (ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
(c-a) “Building Code” means, the Haryana Building Code 2016;”.
- (iii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-
(h) “Floor Area Ratio (FAR)” means a quotient obtained by dividing the total covered area of all floors, by the area of plot *i.e.*

$$\text{FAR} = \frac{\text{total covered area}}{\text{plot area}}$$

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR;”;

- (iv) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-
(j) “Group Housing” means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;”;
- (v) for clause (q), the following clause shall be substituted, namely:-
(q) “Loft” means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;”;
- (vi) for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:-
(t) “Mezzanine Floor” means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;”;
- (vii) in clause (za), after Explanation (3), the following explanation shall be inserted; namely:-
“(4) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy, Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;”;

- (2) under Sub Head VII “Sectors to be developed exclusively through Government Enterprises”, for the existing clause (1) and (2), the following clause shall be substituted, namely:-
“ Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.”;
- (3) under Sub Head VIII, “Land reservations for major transport corridor”, in sub-para (3), after the words “whichever is less shall be allowed” existing at the end, the following words shall be added, namely:-
“Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road , internal sectoral plan roads(24/18 m) or green belt and open space zones in accordance with specified policy”;

- (4) under Sub Head XIII, "Minimum size of plots for various types of buildings", for the existing clauses (2) and (3), the following clause shall be substituted, namely:-
 "(2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.";
- (5) under Sub Head XV "Site coverage, Height and bulk of building under various types of buildings", in the table, against serial number 1, against Group housing, under column "Maximum ground floor coverage and Maximum floor area ratio, for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
 "The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.";
- (6) under Sub Head XVI – "Building lines in front and rear of buildings", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
 "These shall be provided in accordance with Building Code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.";
- (7) under Sub Head XVII- "Architectural Control", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
 "Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 29 of Haryana Building Code 2016.";
- (8) under Sub Head XIX-"Density";- for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
 "Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Transit Oriented Development Policy (TOD) and 20% of Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.";
- III In Appendix- B,-
- (i) under heading I -Residential Zone; after sub clause (viii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 "(viii-a) IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone".
- (ii) under the Heading II- "Commercial zone"; for sub-clause (viii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 "(viii) Residences in mixed land use projects as specified";
- (iii) under Heading III- "Industrial Zone"; after sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 "(vi-a) Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone".
- (iv) under Heading VI – "Public and Semi Public uses zone", after sub-clause (viii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 "(viii-a) Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone."

ARUN KUMAR GUPTA,
 Principal Secretary to Government, Haryana,
 Town and Country Planning Department.

ANAND MOHAN SHARAN,
 Principal Secretary to Government, Haryana,
 Urban Local Bodies Department.